उच्च न्यायलय बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

कोरम माननीय श्री एल.सी. भादू एवं
माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायधीशगण

दाण्डिक अपील क्रमांक 669 वर्ष 2002

उत्तरा कुमार एवं अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य और

एवं

दाण्डिक अपील क्रमांक 739/2002

गेंदलाल एवं अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित

श्रीमती हमींदा सिद्दीकी, अधिवक्ता; दाण्डिक अपील /669/2002 में प्रव्यर्थी के लिए ।

श्रीमती रेणु कोंचर, अधिवक्ता; दाण्डिक अपील क्रमांक 739/2002 में अपीलकर्ताओं के लिए ।

श्री. यू.एन.एस. देव, अतिरिक्त लोक
अभियोजक, श्री अखिल मिश्रा, पैनल अधिवक्ता राज्य/प्रतिवादी के लिए ।

मौखिक निर्णय

-
(18 अप्रेल 2006 को दिया गया)
न्यायालय का निम्नालिखित निर्णय न्यायमुर्ति एल.सी, भादू द्वारा पारित किया गया ।

1. अभियुक्ता/ अपीलकर्ता उत्तरा कुमार, अमोल कुमार और भगत उर्फ धलवा द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील क्रमांक 669/2002 और अभियुक्ता/अपीलकर्ता गेंदलाल और महेंद्र द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील क्रमांक 739/2002 का इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटारा किया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों अपील एक ही निर्णय और एक ही घटना से उत्पन्न हुई हैं जिसमें तीन व्यक्तियों अर्थात दीहू, रतन और बहोरन की मृत्यु कारित की गई थी ।
2. इन अपीलों के द्वारा अभियुक्तों/अपीलार्थियों ने तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) बेमेतरा द्वारा एस.टी. क्रमांक 219/93 में दिनांक 14–6–2002 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय की वैधानिकता एवं सत्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, जिसके तहत विद्धान अपर सत्र न्यायाधिश ने अभियुक्तों/अपीलार्थियों गेंदलाल, महेन्द्र, उत्तरा कुमार, अमोल कुमार एवं भगव उर्फ धलग को दीहू, रतन एवं बोहरन की हत्या करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148 एवं 302 सहपठित धारा 149 के अन्तर्गत अपराध करने के लिए दोषी मानते हुए प्रत्येक अभियुक्त/अपीलार्थियों को क्रमांकः 6 माह के लिए कठोर कारावास एवं प्रत्येक हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी । आगे आदेश दिया गया कि अभियुक्तों पर अधिरोपित सभी दण्डादेश साथ–साथ चलेंगे ।
3. संक्षेप में, इन अपीलों के निपटारे के लिए आवश्यक अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि दुकलहा बाई ग्राम मानिकापुर में 2.08 डिसमिल कृषि भूमी की स्वामिनी थी । चूंकि वह निःसंतान थी, इसलिए उसने अपने भाई के पुत्र आरोपी जगदीश को गोद ले लिया । उसकी मृत्यु के बाद, जगदीश उस भूमि पर काबिज था और यहां तक कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में दुकलहा बाई के उत्तराधिकारी के रुप में दर्ज था । दुकलहा बाई के पति का भाई रेवाराम उक्त भूमि पर अपना अधिकार जता रहा था क्योंकि वह ग्राम सरियारपुर, तहसील लोरमी, जिलाः बिलासपुर में रहता था, इसलिए उसने दुकलहा बाई की उक्त भूमि की देखभाल के लिए ग्राम मानिकपुर के अधनू के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पक्ष में 18–11–91 को मुख्तारनामा निष्पादित किया, जिसमें बताया गया कि इसमें दो पक्ष थे, एक जगदीश के हिस्से का और दुसरा मुख्तारनामा धारक अघनू का । यहां तक कि रेवाराम द्वारा भूमि के स्वामित्व का मामला भी तहसीलदार और एसडीओ राजस्व के न्यायालय में लंबित था । अंत में, प्रकरण जगदीश के पक्ष अभिनिर्धारित किया गया । आरोपी/अपीलार्थि जगदीश पक्ष के सदस्य थे, जबकि मृतक व्यक्ति अघनू पक्ष के सदस्य थे ।

4. दिनांक 15-12-92 को प्रातः लगभग 7 बजे जब दीहू गेंदू सतनामी के घर के पास स्थित कुआं से पानी लेने गया तो रिपोर्ट दर्ज कराने वाले पोखराज भी उक्त कुआं के किनारे से अपने घर की ओर जा रहे थे । उन्होंने देखा कि गेंदू सतनामी के घर में अमोल, आशा, उत्तरा कुमार, बंसी और भागवत तब्बल और लाठी लेकर छिपे हुए थे । आरोपी महेंद्र और गेंदू तब्बल लेकर दीहू के पास पहुंचे और दोनों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया । हाथ पर तब्बल लगा दी, जिससे दीहू गिर गया । उसी समय रतन और डीहू का पुत्र बहोरन घटना स्थल पर आये, जिस पर गेंदू सतनामी और महेंद्र ने रतन के गले और हाथ तब्बल से हमला कर दिया, जिससे रतन भी गिर गया उन्होंने बहोरन पर भी तब्बल और लाठी से हमला किया । वह भी गिर गया । तत्पश्चात, पोखराज द्वारा मामले की रिपोर्ट उसी दिन सुबह 9.30 बजे पुलिस थाना नवागढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी/1) के तहत दर्ज कराई गई । थाना के भारसाधक अधिकारी अशोक शर्मा ने अपराध क्रमांक 147/92 पंजीबद्ध कर घटना स्थल के लिए रवाना होकर पंचों को सूचना (प्रदर्श पी/4) देकर बहोरन के शव का पंचनामा प्रदर्श, पी/5, रतन के शव का प्रदर्श, पी/6 एवं डीहू के शव का प्रदर्श, पी/7 तैयार किया । प्रदर्श-पी/8 के तहत उसने रतन के शव के पास खून से सना हुआ एक लुंगी का टुकड़ा, खून से सना हआ एक धोती और रतन का एक जोडा जूता अपने कब्जे में ले लिया । प्रदर्श पी/9 के तहत उसने मृतक बहोरन की खून से सना हुआ धोती, एक जोड़ा जूता और कुर्ता अपने कब्जे में ले लिया । प्रदर्श पी/10 के तहत उसने मृतक दीहू का एक गमछा, एक धोती, एक और धाती और एक जोड़ा जूता अपनें बरामद किया गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. पुलिस हिरासत में अभियुक्त गेंदलाल ने ज्ञापन प्रदर्श पी./11 अभियुक्त महेन्द्र ने ज्ञापन प्रदर्श पी./12 अभियुक्त उत्तरा कुमार ने ज्ञापन प्रदर्श/13, अभियुक्त अमोल कुमार ने ज्ञापन प्रदर्श पी./14, अभियुक्त जगदीश ने ज्ञापन प्रदर्श पी./15, अभियुक्त बंसी ने ज्ञापन प्रदर्श पी./16, अभियुक्त भगत ने ज्ञापन प्रदर्श पी./17 तथा अभियुक्त आशाराम ने ज्ञापन प्रदर्श पी./18, अभियुक्त दिया । उपरोक्त ज्ञापनों के अनुसरण में उसने प्रदर्श पी./19 के अन्तर्गत अभियुक्त महेन्द्र की निशानदेही पर एक लोहे का तब्बल बरामद किया । उसने प्रदर्श पी./20 के अन्तर्गत अभियुक्त उत्तरा कुमार की निशानदेही पर एक लाठी बरामद की । प्रदर्श पी./21 के अन्तर्गत अभियुक्त अमल कुमार की निशानदेही पर एक लोहे का तब्बल बरामद किया । उसने प्रदर्श पी./22 के अन्तर्गत अभियुक्त आशाराम की निशानदेही पर एक लोहे का तब्बल बरामद किया । उसने प्रदर्श पी./23 के अन्तर्गत अभियुक्त जगदीश की निशानदेही पर एक लोहे तब्बल बरामद किया । प्रदर्श पी./24 के तहत, उन्होंने अभियुक्त बंसी की निशानदेही पर एक बांस की लाठी बरामद की । प्रदर्श पी./25 के तहत, उन्होंने अभियुक्त भगत की निशानदेही पर एक लोहे की तब्बल बरामद की । प्रदर्श पी./26 के तहत, उन्होंने अभियुक्त गेंदलाल की निशानदेही पर एक लोहें की तब्बल बरामद की । इन तब्बलों को डॉक्टर की राय के लिए भेजा गया और डॉक्टर ने प्रदर्श पी./30 और प्रदर्श पी./31 के माध्यम से अपनी राय दी कि अघ्रनु, दीहू, रतन और बहोरन को लगी चोटें बरामद तब्बलों के कारण हो सकती हैं । नजरी नक्शा (प्रदर्श पी./38–ए) को विवेचना अधिकारी के साथ–साथ पटवारी द्वारा तैयार किया गया । डीहू, रतन और बहोरन के शवो को मर्ग रिपोर्ट के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नवागढ़ भेजा गया, जहां, डॉ. वी.के. साम्रकार, सहायक शल्य चिकित्सक ने मृतकों के शवों का शल्य परीक्षण किया और रतन के शव के लिए प्रदर्श.पी/27 और डीहू के शव के लिए प्रदर्श.पी/28 और बहोरन के शव के लिए प्रदर्श.पी/29 मर्ग रिपोर्ट तैसार की । उन्होंने कहा कि रतन की मौत रक्तसाव के कारण बेहोशी थी । डीहू की मौत के बारे में उन्होंने कहा कि मौत का कारण रक्तसाव के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कारण बेहोशी थी । बहोरन के बारे में उन्होंने कहा कि मौत का कारण सिर पर चोट लगने के कारण कोमा था । प्रदर्श–पी/42, पी/43 और पी/44 के तहत घटनास्थल से सादी मिट्टी और खून से सनी मिट्टी को कब्जे में लिया गया । रेवाराम द्वारा अधनू के पक्ष में निष्पादित मुख्तियार नामा को प्रदर्श पी./45 के अन्तर्गत कब्जे में ले लिया गया । वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर भेजा गया, जहा से रिपोर्ट प्रदर्श पी./52 प्राप्त हुई ।

6. जांच पूरी होने के बाद, आरोपी आशाराम, उत्तरा कुमार, अमोल कुमार, भगत, गेंदलाल, महेन्द्र और जगदीश के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बेमेतरा की न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया, जिन्होने मामले को सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को सुपूर्द किया, जहां से विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा ने मामले को सुनवाई के लिए अन्तरित कर दिया । आरोपी आशाराम और बंसी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई । हालांकि, आरोपी, जगदीश को सभी आरोपो से दोषमुक्त कर दिया गया और पांचों आरोपियों/अपीलकार्ताओं को इस फैसले के पेरा–2 में उल्लिखित अनुसार दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए 16 गवाहों की गवाही कराई । दूसरी ओर, आरोपियों के बयान सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ अभियोजन पक्ष के सबूतों से इनकार किया और कहा कि वे निर्दोष है और उन्हें अपराध में झूठा फंसाया गया है । आरोपी गेंदलाल ने कहा है कि घटना के समय वह शौंच के लिए गया था । जब वह घायल लौटा, तो उसने देखा कि रतन, बोहरन और दीहू, बंसी और आशा से झगड़ा कर रहें थे । आरोपी महेन्द्र ने कहा है कि वह निर्दोष है और उसे अपराध में झूठा फंसाया गया है। उसी तरह के इनकार आरोपी अमोल कुमार, जगदीश और भगत ने भी किए । उन्होंने बचाव में 6 गवाहों की गवाही कराई । आरोपी जगदीश ने खुद को ब.सा.3 के रूप में पेश किया । उसने कहा कि घटना के समय वह गुना गांव में था । आरोपी व्यक्तियों

ने रायपुर के शासकीय पॉली क्लिनिक के सहायक शल्य चिकित्सक डॉ. श्रीकांत राजिमवाले से भी पूछताछ की । उन्होंने बताया कि 15–12–92 को शाम 5 बजे उन्होंने सांसी की जांच की और पाया कि शरीर के पिछले हिस्से पर 4 इंच लंबा खरोंच का निशान था । छाती पर खरोंच और घिसाव था । सिर पर कटने का घाव था । ये चोटें किसी कठोर और कुंद वस्तु से लगी थीं । उन्होंने आगे बताया कि उसी दिन उन्होंने महेन्द्र की जांच की और पाया कि बाएं हाथ पर कटने का घाव था । उनकी रिपोर्ट प्रदर्श–डी/3 और डी/4 हैं ।

8. हमने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तओं को सुना है ।
9. मृतक व्यक्तियों दीहू, रतन और बहोरन की हत्या के बारे में अभियुक्तो/अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्तओं द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया है ।
10. जहां तक संबंधित अपराध में आरोपी/अपीलार्थियों की संलिप्तता का सवाल है, विद्वान वकील श्रीमती हमीदा सिद्दीकी ने तर्क दिया कि शिकायतार्ता अ.सा.–1 पोंखराज, घायल गवाह अ.सा.–2 अघनू, अ.सा.–4 प्रेम बाई, मृतक रतन की पत्नी, अ.सा. उत्तरा बाई और अ.सा. भागवत अपने बयान से पलट गए हैं । अभियोजन पक्ष कानूनी साक्ष्यों के साथ यह साबित नहीं कर पाया है कि घटना कैंसे शुरू हुई । आरोपी/अपीलकार्ताओं के खिलाफ माामला अ.सा.–13 होलीराम, उत्तम का बेटा और कन्हैया का पोता के प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित है । इन 3 गवाहों के साक्ष्य से यह साबित नहीं हुआ है कि आरोपी उत्तरा कुमार, अमोल कुमार और भगत गैरकानूनी सभा के सदस्य थे और उन्होंने किसी भी तरह से इस हत्याकांड में हिस्सा लिया था । उनके साक्ष्य से यह साबित नहीं, हुआ है कि ये आरोपी जानते थे कि आरोपी गेंदलाल और महेंद्र मृतक व्यक्तियों की हत्या करने जा रहे हैं । इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये गेंदलाल और महेंद्र के साथ मिलकर कोई साझा उद्देश्य साझा कर रहे थे । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जांच अधिकारी द्वारा तैयार किए गए नजरी नक्शा प्रदर्श.पी/38–ए से यह साबित होता हे कि विवेचना अधिकारी द्वारा दर्शाई गई घटना की जगह आरोपी गेंदलाल के घर के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पास और खेत में थी । इस घटना में आरोपी बंसी और महेन्द्र को भी चोटें आई । मृतक व्यक्ति लाठी और तब्बल लेकर चल रहे थे ।

11.उन्होंने आगे तर्क दिया कि साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि सभी 3 गवाह एक ही परिवार से हैं, अर्थात दादा, बेटा और पोता और वे आरोपी पक्ष के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध थे । गवाह उत्तम का घर घटनास्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर था । इन परिस्थितियों में, इन व्यक्तियों के लिए सुबह करीब 7 बजे अपराध को देखना संभव नहीं था, इसलिए, विभिन्न अपराधों के लिए इन आरोपियों/अपीलार्थियों की सजा किसी कानूनी सबूत पर आधारित नहीं है और यह गलत है ।

12. अभियुक्त/अपीलार्थी गेंदलाल एवं महेन्द्र की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती रेणु कोचर ने तर्क दिया कि घटनास्थल अभियुक्त गेंदलाल के घर के निकट था । साक्ष्यों से यह स्थापित होता है कि अभियुक्त महेन्द्र एवं बंसी को चोटें आई। शिकायतकर्ता पक्ष हमलावर था । उन्होंने अभियुक्त पक्ष पर हमला किया । अ.सा.–14 अशोक शर्मा के साक्ष्य के अनुसार अघनू, दीहू, रतन, कन्हैया, बोहरन, पोखराज, धन्नू, ईव्श्रर एवं उत्तम के विरुद्ध धारा 147, 148, 323, एवं 324/149 भा.द.स. के अन्तर्गत अपराध करने के लिए उसी समय आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, जिसे अभियोजन पक्ष के साक्षियों ने स्वीकार किया है कि उनके विरुद्ध मामला लंबित है । अधिक से अधिक अभियुक्तों ने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया, क्योंकि मृतक व्यक्ति उनके खेत में आए तथा अभियुक्त महेन्द्र एवं बंसी पर हमला किया, अतः उन्होंने अपने बचाव के लिए निजी प्रतिरक्षा के अधिकार में हमला किया । उन्होंने आगे तर्क दिया कि अ.सा.–1 पोखराज द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपार्ट साबित नहीं हुई है क्योंकि पोखराज अपने कथन से पलट गया है, इसलिए इन आरोपियों/अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि भी गलत है ।

13. दूसरी ओर, राज्य/प्रतिवादी के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजन श्री यू.एन.एस. देव तथा पैनल अधिवक्ता श्री अखिल मिश्रा ने विचारण न्यायालय के फैसले का समर्थन किया ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद हमने साक्ष्यों, दस्तावेजों और विचारण न्यायालय के फैसले की जांच की है ।

15. अब, अभियुक्त/अपीलकर्ता उत्तरा कुमार, अमोल कुमार और भगत ढ़ालवा की अपराध में संलिप्तता की बात करें तो अ.सा.–3 कन्हैया ने बताया है कि घटन सूर्योदय के समय हुई थी । वह अपने घर पर था और आवाज सुनकर वह गेंदलाल के कुएं के पास गया । वहां कुएं से लेकर गेंदलाल के धान के खेत तक झगड़ा हुआ । वहां दीहू, रतन और बहोरन थे । दूसरे पक्ष से गेंदलाल, महेन्द्र, आशा, बंसी, भगत, उत्तरा और अमोल, कुल 8 व्यक्ति वहां थे। आरोपी गेंदलाल और महेंद्र ने तब्बल पकड़ी हुई थी। आरोपी आशा और बंसी ने भी तब्बल पकड़ी हुई थी। अन्य लोगों ने लाठी पकड़ी हुई थी। सबसे पहले उन्होंने रतन पर हमला किया, गेंदलाल ने तब्बल से हमला किया, महेंद्र ने बहोरन पर तब्बल से हमला किया और बाकी लोग खड़े थे। इसके बाद जगदीश आया और उसने दीहू पर तब्बल से हमला किया। उसने आगे कहा है कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना को उत्तरा बल, प्रेम, पोखराज, उत्तम और उसने देखा था। हालांकि प्रति–परीक्षण में उसने कहा है कि दीहू और गेंदलाल के घर के बीच में बोरवेल है। दीहू के घर के पिछे में कुआं है। दीहू गेंदलाल के खलिहान में गिर गया था। उसने दीहू के हाथ में बाल्टी देखी थी। गेंदलाल के घर से सटा हुआ कुआं गेंदलाल का नहीं है बल्कि पह सार्वजनिक कुआं है। बहोरन गेंदलाल के घर के पास चोट लगने से गिर गया। वह कुएं से 20–25 कदम की दूरी पर गिरा। रतन गेंदलाल के खलिहान में मूल पड़ा था। प्रति–परीक्षण में उसने आगे कहा है कि अगर उसने मुख्य परीक्षा में कहा है कि रहन सबसे पहले गिरा तो यह गलत है। दलाल ने बहोरन पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप वह गिर गया। यह गलत है कि महेंद्र ने बहोरन पर हमला किया, गेंदलाल और महेंद्र के अलावा किसी और ने रतन और बहोरन पर हमला नहीं किया। यह भी सही है कि दीहू पर जगदीश के अलावा किसी और ने हमला नहीं किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. अ.सा.–7 उत्तम ने बताया कि घटना सुबह करीब 7 बजे गेंदलाल के घर में हुई। गेंदलाल के घर में सार्वजनिक कुआं है। गेंदलाल ने बहोरन पर तब्बल से हमला किया। जगदीश ने दीहू पर तब्बल से हमला किया। महेंद्र ने रतन पर तब्बल से हमला किया। उसने देखा कि तीनों व्यक्ति वहां मौजूद थे। जमीन पर लेटा हुआ था और उसके बाद, वह अपने घर लौट आया। आशा, उत्तरा, अमोल, बंसी, कुल 8 व्यक्ति वहां थे। अ.सा.–13 होलीराम ने कहा है कि जगदीश ने दीहू पर तब्बल से हमला किया, गेंदलाल ने बहोरन पर तब्बल से हमला किया और महेंद्र ने रतन पर तब्बल से हमला किया। उत्तरा कुमार, ढलवा, आशा, बंसी दीहू, रतन और बहोरन के मरने के बाद आए। अ.सा.–3 ने प्रति–परीक्षण में, पैरा–13 में स्पष्ट रूप से कहा है कि दीहू, रतन और बहोरन पर केवल गेंदलाल, महेंद्र और जगदीश ने हमला किया था और अन्य ने उन पर हमला नहीं किया था। इसी तरह, अ.सा.–7 ने केवल इतना कहा है कि इन 3 आरोपियों ने मृतकों पर हमला किया। उन्होंने यह भी कहा है कि आशा, उत्तरा, अमोल, बंसी भी वहां थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा है कि उनके हाथ में काई हथियार नहीं था, जबकि अ.सा.–3 ने कहा है कि उनके हाथ में लाठी थी। अ.सा.–13 ने कहा है कि जगदीश, गेंदलाल और महेंद्र ने मृतकों पर हमला किया और ये आरोपी/अपीलार्थि डीहू, रतन और बोहन की मौत के बाद आए थे । इसके अलावा, मर्ग रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉ विनय कुमार ताम्रकार (अ.सा.–9) ने कहा है कि डीहू के शरीर पर जो चोंटे आई थीं, वे किसी कठोर और नुकीली चीज से लगी थीं। इसी तरह, उन्होंने कहा है कि बहोरन को लगी चोटें भी किसी कठोर और नुकीली चीज से लगी थी । रतन के शरीर पर भी इसी तरह की चोटें पाई गई । इसलिए, इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि ये चोटें लाठी जैसी किसी कुंद वस्तु से लगी हों, जबकि अ.सा.–3 कन्हैया ने कहा है कि इन लोगों के हाथ में लाठियां थीं। उपरोक्त सबूतों के आधार पर, यह स्थापित होता है ।

17. इसके अलावा, अगर हम बरामदगी पंचनामा को देखें तो उत्तरा कुमार से एक लाठी बरामद की गई, जबकि अमोल कुमार से एक तब्बल बरामद की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गई, भगत से एक तब्बल प्रदर्श पी/21 के तहत बरामद की गई, भगत से एक तब्बल प्रदर्श.पी/25 के तहत बरामद की गई, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों ने यह नहीं बताया कि भगत और उत्तरा के पास तब्बल थी। प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य के अनुसार, ये 3 अपीलकर्ता लाठी लिए हुए थे. लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने लाठी से हमला किया और मृतक व्यक्तियों के शरीर पर पाए गए घाव, चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार, कठोर और नुकीली वस्तु के कारण हुए थे। प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के विपरीत, विवचना अधिकारी ने उत्तरा और भगत के आधिपत्य से तब्बल बरामद किया था । इसलिए, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से, इन व्यक्तियों द्वारा मृतक व्यक्तियों पर किए गए हमले की पुष्टि नहीं हुई है।

18.जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से उनके दोषसिद्धिका संबंध है, भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 149 विशिष्ट और विशिष्ट अपराध बनाती है, इसके दो आवश्यक तत्व हैं– (1) किसी गैरकानूनी भीड़ के किसी सदस्य द्वारा अपराध किया जाना, (2) ऐसा अपराध उस भीड़ के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने में किया गया होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए जैसा कि उस भीड़ के सदस्यों को पता था कि ऐसा किया जाना संभावित है इसलिए, अभियुक्त के कृत्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अंतर्गत लाने के लिए, अपराध करते समय अभियुक्त अवश्य ही वहां मौजूद होना चाहिए और विधिः विरूद्ध जमाव का सदस्य होना चाहिए ।

सामान्य उद्देश्य के लिए स्थापित कानून के अनुसार, किसी पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं है। सामान्य उद्देश्य क्षण भर में बनाया जा सकता है। हालाँकि, सभा के सदस्यों द्वारा अपनाया गया आचरण एक प्रासंगिक कारक है। किस समय विधि विरूद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य बनाया गया था, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यह किसी भी चरण में या सभी सदस्यों द्वारा बनाया जा सकता है या सभा के नए सदस्य या अन्य सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं या एक बार बनने के बाद इसे जारी रखने की आवश्यकता नहीं है, इसे किसी भी चरण में संशोधित या बदला जा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सकता है। राजेंद्र शांताराम टोइनकर बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य [(2003) 2 एससीसी 257] के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने माना किः–

”भारतीय दंड संहिता की धारा 149 में यह प्रावधान है कि यदि किसी विधि विरूद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमावड़े के सामान्य उद्देश्य के लिए कोई अपराध किया जाता है, या ऐसा अपराध जिसे उस जमावड़े के सदस्य जानते थे कि उस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है. तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमावड़े का सदस्य है वह उस अपराध का दोषी है। धारा 149 के दो खंड भिन्न हैं। पहला खंड विधि विरूद्ध जमाव के किसी भी सदस्य द्वारा अपराध किए जाने पर विचार करता है जिसे जमावडे के सामान्य उद्देश्य के लिए किया गया माना जा सकता है। दूसरा खंड अपने दायरे में ऐसे कार्य के किए जाने को शामिल करता है जो जरूरी नहीं कि जमावडे का सामान्य उद्देश्य हो, फिर भी, जमावड़े के सदस्यों को सामान्य उद्देश्य के लिए उस अपराध के किए जाने की संभावना ज्ञान था। सामान्य उद्देश्य एक अपराध का किया जाना हो सकता है जबकि एक और अपराध के किए जाने की संभावना हो सकती है, जिसका ज्ञान विधि विरूद्ध जमाव के सदस्यों को सुरक्षित रूप से दिया जा सकता है। किसी भी मामले में, प्रत्येक सदस्य सभा का कोई भी सदस्य सभा के किसी अन्य सदस्य द्वारा वास्तव में किए गए अपराध के लिए उत्तरदायी होगा। अपराध के होने की मात्र संभावना से न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने में सहायता नहीं मिलेगी कि इस तरह के अपराध के होने की संभावना विधि विरूद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य के ज्ञान में थी। इस तरह के कार्य का प्रत्यक्ष साक्ष्य एकत्र करना वास्तव में कठिन है, यद्यपि असंभव नहीं है। घटना की पृष्ठभूमि, उद्देश्य, सभा की प्रकृति, सभा के सदस्यों द्वारा लिए गए हथियारों की प्रकृति, उनके सामान्य उद्देश्य और घटना के पहले और उसके बाद सदस्यों के व्यवहार जैसी परिस्थितियों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। जब तक धारा 149 के किसी भी खंड की प्रयोज्यता को आकर्षित नहीं किया जाता है और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायालय तथ्यों और कानून दोनों के आधार पर धारा 149 भा.द.सं. के किसी भी खंड के संदर्भ में किसी सदस्य का दायित्व पक्का नहीं हो जाता है, केवल इसलिए कि सभा के किसी सदस्य द्वारा आपराधिक कृत्य किया गया था, उसका हर दूसरा सदस्य ऐसे आपराधिक कृत्य के लिए आवश्यक रूप से उत्तरदायी नहीं होगा। दिए गए आपराधिक कृत्य के होने की संभावना के बारे में अनुमान सभा के किसी अन्य सदस्य को ज्ञान होना चाहिए जिसे उक्त आपराधिक कृत्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना है ।

परशुराम पांडे एवं अन्य बनाम बिहार राज्य [(2004) 13 एमसीसी 189] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:–

"भ.दा.सं. की धारा 149 को लागू करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि अपराध का कमीशन किसी विधि विरूद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा किया गया था और ऐसा अपराध सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किया गया होगा या ऐसा होना चाहिए कि सभा के सदस्यों को पता था कि ऐसा होने की संभावना है। जब तक अभियोजन पक्ष इन तीन ताथ्यों को संतुष्ट नहीं करता है, तब तक अभियुक्त को धारा 149 भ.दा.सं. के अंर्तगत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है ।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

19. अतः उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर हमें अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों से यह पता लगाना आवश्यक है कि क्या अभियुक्तगण/अपीलार्थिगण विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य थे, दीहू, रतन एवं बहोरन की हत्या का अपराध उस भीड़ के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया था अथवा अभियुक्तगण भीड़ के सदस्य होने के कारण यह जानते थे कि ऐसा अपराध होने की संभावना है। उपरोक्त प्रस्तुत साक्ष्य किसी भी प्रकार से यह नहीं दर्शाते हैं कि इन अभियुक्तगणों का अभियुक्तगण महेन्द्र एवं गेंदलाल के साथ कोई सामान्य उद्देश्य था अथवा वे यह जानते थे कि महेन्द्र एवं गेंदलाल द्वारा ऐसा अपराध होने की संभावना है। अभियुक्त साक्ष्य 3 कन्हैया, अभियुक्त साक्ष्य–7 उत्तम एवं अभियुक्त साक्ष्य–13 होलीराम ने यह नहीं कहा है कि इन

व्यक्तियों ने प्रथमतः किसी भी प्रकार से हमले में भाग लिया था। होलीराम (अ.सा.–13) के साक्ष्य के अनुसार भी ये व्यक्ति दीहू, रतन एवं बहोरन की मृत्यु के पश्चात आए थे। इसके अतिरिक्त, जैसा कि पूर्व में प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार वे लाठी लेकर आए थे, जबकि, निरीक्षक, उत्तरा और भगत से तब्बल बरामद किया था। मृतक व्यक्तियों के शरीर पर पाई गई सभी चोटें कठोर और नुकीली वस्तु से लगी थीं। इसलिए अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि यह हत्या थी या नहीं। इन व्यक्तियों के विरुद्ध यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि वे एक विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य थे या गेंदलाल, महेंद्र और इन अभियुक्तों/अपीलार्थियों के बीच कोई सामान्य उद्देश्य था या इन अपीलकर्ताओं को पता था कि अन्य अभियुक्तों द्वारा किसी की हत्या की जाएगी। इसके अलावा, मुख्य विवाद दुकलहा बाई द्वारा जगदीश के पक्ष में छोड़ी गई भूमि के कारण था, इसलिए, विवाद जगदीश और मृतक पक्ष के बीच था, न कि इन अभियुक्तों के साथ। इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा लगाए गए भा.द.सं. की धारा 149 की सहायता से पारा 302 के तहत इन अभियुक्त/अपीलार्थियों की सजा कानूनी सबूतों पर आधारित नहीं है और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। इसी तरह भा.द.सं. की धारा 148 के तहत उनकी सजा भी इस कारण से बरकरार नहीं रखी जा सकती है कि प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है कि वे लाठी ले जा रहे थे, जबकि, निरीक्षक ने उत्तरा और भगत से तब्बल बरामद किया इस तरह, भा.द.सं. की धारा 148 के तहत उनकी सजा बरकरार नहीं रखी जा सकती है। इस तरह, अभियुक्तों/अपीलार्थियों उत्तरा कुमार, अमोल कुमार और भगत उर्फ ढलवा द्वारा प्रस्तुत अपील सफल होने योग्य है।

20. जहां तक आरोपी अपीलार्थि गेंदलाल और महेंद्र द्वारा प्रस्तुत अपील (दाण्डिक अपील संख्या 739/2002) का सवाल है, अ.सा.–3 कन्हैया, अ.सा.–7 उत्तम और अ.सा.–13 होलीराम के साक्ष्य के अनुसार आरोपी गेंदलाल ने बहोरन पर तब्बल से हमला किया, आरोपी महेंद्र ने रतन पर तब्बल से हमला किया और दीहू पर जगदीश ने तब्बल से हमला किया। तीनों

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गवाहों के साक्ष्य सुसंगत और विश्वसनीय हैं। जहां तक उनकी संलिप्तता का सवाल है, तीनों गवाहों ने कहा है कि इन आरोपियों ने बहोरन और रतन पर तब्बल से हमला किया। हालांकि, यह कहा गया है कि जगदीश ने दीहू पर हमला किया, लेकिन विचारण न्यायालय ने जगदीश को दोषमुक्त कर दिया है।

21.जहां तक अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलील का सवाल है कि चूंकि कन्हैया का घर घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर है, इसलिए अ.सा.-7 उत्तम, जो कन्हैया का बेटा है और अ.सा.-13 होलीराम जो कन्हैया का पोता है, की मौजूदगी संदिग्ध है। लेकिन, हम अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता की दलील से सहमत नहीं हैं, क्योंकि घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी इस तथ्य से साबित होती है कि आरोपी गेंदलाल ने अधनू और पोखराज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रति-परीक्षण में पैरा-12 में, उन्होंने स्वीकार किया है कि गेंदलाल ने उनके, अधनू, पोखराज, उत्तम, ईश्वर, धन्नू, दीहू, बहोरन और रतन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 323 और 324/149 के तहत अपराध कारित करना, जिसमें कन्हैया और उत्तम (अ.सा.-7) के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और अपराध उसी घटना से संबंधित है, जिसमें दीहू, बहोरन और सान की हत्या कर दी गई थी।

22.अब अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क पर आते हैं कि अभियुक्त महेंद्र और सह-अभियुक्त बंसी (जिसकी सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई) को भी चोटें आई थी और अभियोजन पक्ष द्वारा उन्हें नहीं किया गया। घटना गेंदलाल के खलिहान में हुई थी और भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 323 और 324/149 के तहत अपराध के संबंध में आरोप पत्र शिकायतकर्ता पक्ष के खिलाफ पहले ही दाखिल किया जा चुका है, इसलिए शिकायतकर्ता हमलावर था और अभियुक्त /अपीलार्थियों ने निजी बचाव के अधिकार में मृतक पर हमला किया, इसलिए अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता । उधर जिस साक्ष्य का उल्लेख किया गया है, मृतक व्यक्तियों दीहू, बहोरन और रतन के शव गेंदलाल के खलिहान में पड़े थे । अ.सा.-14 अशोक (निरीक्षक) का साक्ष्य भी ऐसा ही है, जिसने नजरी नक्शा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(प्रदर्श-पी/38-ए) तैयार किया था। घटनास्थल गेंदलाल का खलिहान दर्शाया गया है तथा खलिहान में लाशें पड़ी हुई थीं। अ.सा.-4 के साक्ष्य के अनुसार डॉ. श्रीकांत राजिमवाले ने 15-12-92 को शाम 5 बजे बंसी के घावों की जांच की। बंसी की पीठ पर लगभग 4 इंच लम्बा खरोंध का निशान था। पीठ पर 2” x 1/2” आकार का खरोंच का निशान था। खरोंच में सूजन थी । बगल के पास एक और खरोंच का निशान था । छाती पर खरोंच का निशान था। सिर पर 2" x 2" x 1/2" आकार का घाव था तथा ये चोटें किसी कठोर व कुंद वस्तु से आई थीं। चोट रिपोर्ट प्रदर्श डी 3 है। इसी प्रकार बायी कलाई पर 2½" x 1½" त्वचा के अन्दर घाव था तथा चोट रिपोर्ट प्रदर्श डी/4 है। अ.सा.-3 कन्हैया ने प्रति-परीक्षण के पैरा-12 में कहा है कि उसने बंसी के सिर पर चोट नहीं देखी है और वह यह भी नहीं बता पा रहा है कि बंसी के सिर पर कोई चोट थी या नहीं और उसे यह चोट कैसे लगी। अगर रतन और पोखराज तब्बल लिए हुए थे तो उसे इसकी जानकारी नहीं है। अधनू सं साथ में फरसा नहीं था, बल्कि तब्बल था। यह कहना सही है कि दीहू, बहोरन, धन्नु और ईश्वर के हाथ में लाठी थी। इसलिए साक्ष्य के अनुसार शिकायतकर्ता पक्ष के हाथ में तब्बल और लाठी थी। घटना गेंदलाल के खलिहान में हुई जिसमें आरोपी पक्ष को चोटें आई और उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। लक्ष्मी के मामले में सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य [(1976) 4 एससीसी 394] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है किः-

> "अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त को लगी चोटों के बारे में स्पष्टीकरण न देना अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित कर सकता है। लेकिन ऐसा स्पष्टीकरण न देना तब अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है जब साक्ष्य में हितबद्ध या विरोधी गवाह शामिल हों या जहां बचाव पक्ष ऐसा बयान दे जो अभियोजन पक्ष के बयान से पूरी तरह मेल खाता हो। लेकिन जहां साक्ष्य स्पष्ट, ठोस और वीश्वसनीय हो और जहां न्यायालय सत्य और असत्य में अंतर कर सके, वहां मात्र यह तथ्य कि अभियोजन पक्ष द्वारा चोटो के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है. अपने आप में ऐसे साक्ष्य और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परिणामस्वरूप पूरे मामले को खारिज करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता।"

पुनः रिज़ोन एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के [(2003) 2 एससीसी 661] में सर्वोच्च न्यायालय अभिनिर्धारित किया है किः-

"घटना के समय या झगड़े के दौरान अधियुक्त द्वारा लगी चोटों का स्पष्टीकरण न देना एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थिति है । लेकिन अभियोअन पक्ष द्वारा चोटों का स्पष्टीकरण न देना सभी मामलों में अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित नहीं कर सकता है। यह सिद्धांत ऐसे मामले पर लागू होता है जहां अभियुक द्वारा लगी चोटें मामूली और सतही हों या जहां साक्ष्य इतना स्पष्ट और ठोस इतना स्वतंत्र और निष्पक्ष, इतना संभावित, सुसंगत और विश्वसनीय हो कि यह अभियोजन पक्ष द्वारा चोटों का स्वीकरण न देने के प्रभाव से कहीं अधिक हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23.सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के आलोकन में, यदि हम वर्तमान मामले के तथ्यों पर दृष्टि डाले तो अ.सा.-3 के साक्ष्य के अनुसार, शिकायतकर्ता पक्ष के हाथों में तब्बल और लाठी थी। पहना आरोपी गेंदलाल के खलिहान में हुई, जिसमें आरोपी बंसी (जिसकी सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई) के सिर पर घाव और अन्य सामान्य चोटें आई, साथ ही आरोपी महेंद्र के बाएं हाथ की कलाई पर भी घाव हुआ, लेकिन उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, इसलिए, आरोपियों का यह बचाव कि उन्होंने निजी बचाव के अधिकार में काम किया, निराधार नहीं कहा जा सकता।

24.जहां तक अभियोजन पक्ष के मामले का संबंध है कि दीहु गेंदलाल के घर के पास स्थित कुएं से पानी लेने गया था, शिकायतकर्ता अ.सा. 1 पोखराज अपने कथन से पलट गया है और उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन नहीं किया है, यहां तक कि निरीक्षक अ.सा.-14 ने भी अपने साक्ष्य में यह नहीं कहा है कि प्राथमिकी का कुछ हिस्सा पोखराज द्वारा बताए अनुसार दर्ज किए गए थे । इसके अलावा, यह साक्ष्य में आया है कि दीहू के घर के पीछे “कुआं” था, इसलिए, दीहू के लिए पानी लाने के लिए गेंदलाल के घर के पास बोरवेल

(कुआं) पर जाने का क्या कारण था। अ.सा.-7 के साक्ष्य में यह भी आया है कि दीहू पानी लाने के लिए जो बाल्टी ले जा रहा था , उसे पुलिस ने कब्जे मे ले लिया था । लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया है । यहां तक कि निरीक्षक अ.सा.-14 ने भी यह नहीं कहा है कि उसने घटनास्थल पर मृतक दीहू द्वारा छोड़ी गई किसी भी बाल्टी को अपने कब्जे में लिया था। इसलिए, यह स्थापित होता है कि अभियुक्त/अपीलार्थि गेंदलाल और महेंद्र ने निजी बचाव के अधिकार में मृतकों पर हमला किया । भा.द.सं. की धारा 99 में परिकल्पना की गई है कि निजी बचाव का अधिकार किसी भी मामले में बचाव के उद्देश्य से आवश्यक से अधिक नुकसान पहुंचाने तक विस्तारित नहीं होता है। धारा 101 में उल्लेख है कि यदि अपराध पिछली धारा में उल्लेखित किसी प्रकार का नहीं है तो शरीर की निजी रक्षा का अधिकार हमलावर की स्वैच्छिक मत्यु या किसी अन्य प्रकार की हानि तक विस्तारित नहीं होता है, लेकिन धारा 99 में उल्लेखित प्रतिबंधों के तहत हमलावर को स्वैच्छिक रूप से मृत्यु के अलावा कोई अन्य हानि पहुंचाने तक विस्तारित होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25.डॉ. राजिमवाले (ब.सा.-4) के साक्ष्य से, अभियुक्त बंसी (परीक्षण के दौरान मृत्यु हो गई) और महेंद्र को साधारण चोटें आई. इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्तगण यह आशंका कर रहे थे कि अन्यथा मृत्यु हो जाएगी या गंभीर चोट पहुंचाई जाएगी, क्योंकि ऐसे अभियुक्तगण अर्थात् गेंदलाल और महेंद्र ने इस मामले में निजी बचाव के अधिकार का अतिक्रमण किया और मृतक व्यक्तियों बहोरन और रतन की मृत्यु कर दी और यहां तक कि दीहु की मृत्यु भी सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य द्वारा काटी गई जिसमें जगदीश आशाराम, बंसी और अन्य अभियुक्तगण, जिनमें से आशाराम और बंसी की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई तथा जगदीश को विचारण न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया। डॉ. वी. के. ताम्रकार की गवाही के अनुसार मृतक रतन को 7 चोटें आई, जिनमें से चोट क्रमांक 1 घुटने से 6 इंच ऊपर दाहिनी जांघ पर चीरा हुआ धाव थाः चोट क्रमांक 2 बाएं पार्श्विका क्षेत्र

पर 2" x 1" के आकार का चीरा हुआ धाव था, यह हड्डी तक गहरा था, खोपड़ी में 1 की लंबाई में फ्रेक्चर थाः घोट क्रमांक 3 सिर के पश्चकपाल क्षेत्र पर 2" x 1" के आकार का चीरा हुआ घाव था, यह हड्डी तक गहरा था तथा अन्य भी चीरे हुए घाव थे। डॉक्टर के मतानुसार चोटें नुकीली व कठोर बस्तु से लगी थीं। इसी प्रकार मृतक दीहू को 5 चीरे हुए घाव मिले। रेडियस व अल्ना में फ्रैक्चर था। खोपड़ी पर फ्रैक्चर व अन्य कटे हुए घाव थे, अतः जिस प्रकार से इन तीनों व्यक्तियों की हत्या की गई, इन पर बहुत ही निर्दयता व क्रूरता से हमला किया गया तथा इनकी मौके पर ही तत्काल मृत्यु हो गई। प्रथम दृष्टया अभियुक्तगणों को साधारण चोटें आई तथा अभियुक्तगण गेंदलाल व महेन्द्र का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 99 के अन्तर्गत नहीं आता, क्योंकि जब रतन, बहोरन व दीहू को एक-दो चोटें आई तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसके बाद भी वे अभियुक्तगणों पर हमला करने की स्थिति में थे, परन्तु उसके बाद भी अभियुक्तगण/अपीलार्थियों ने घातक हथियार अर्थात तब्बल से हमला जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप मृतक व्यक्तियों के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर घातक, फ्रैक्चर व गंभीर चोटें आई, जिसके परिणामस्वरूप उनकी स्वतः मृत्यु हो गई, अतः अभियुक्तगण/अपीलार्थियों ने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण किया। अतः जिस प्रकार से इन व्यक्तियों की हत्या की गई, उससे इन अभियुक्तगण/अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304-1 के अन्तर्गत अपराध बनता है।

26.उपरोक्त साक्ष्यों से यह स्थापित होता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी गेंदलाल और महेंद्र ने निजी बचाव के अधिकार का उल्लंघन किया है। उपर्युक्त स्पस्टीकरण के लिए, भा.द.सं. की धारा 302 के साथ धारा 149 के तहत उनकी दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती।

27.परिणाम स्वरूप,

ए. अभियुक्त/अपीलार्थी उत्तरा कुमार, अमोल कुमार और भगत धलवा द्वारा दायर दाण्डिक अपील संख्या 669/2002 को स्वीकार किया जाता है।भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 और 148 तथा इन अपराधों के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तहत उन पर लगाई गई सजा को अपास्त किया जाता है। उन्हें इन आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो तो उन्हें तत्काल रिहा कर दिया जाए।

ख. अभियुक्त/अपीलार्थी गेंदलाल और महेंद्र द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या 739/2002 को आंशिक रूप से इस सीमा तक अनुमति दी जाती है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के तहत उनके दोषसिद्धि और इन अपराधों के तहत उन पर लगाए गए दंड को रद्द किया जाता है, इसके बजाय अभियुक्त/अपीलार्थी गेंदलाल और महेंद्र में से प्रत्येक को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-1 के तहत दोषी ठहराया जाता है। जिस अपराध में तीन व्यक्तियों की हत्या की गयी, उसकी प्रकृति को देखते हुए, हम इस राय पर हैं कि न्याय के हित में उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए, इसलिए अभियुक्त/अपीलार्थी गेंदलाल और महेंद्र में से प्रत्येक को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-1 के तहत अपराध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। अभियुक्त/अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के तहत उन पर लगाए गए दंड को यथावत रखा जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-	सही/-
एल.सी.भादू	धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायधीश	न्यायधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो उपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रजी स्वरूपर ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी ।**

Translated By– **सृष्टि साहू**